

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1 से 2

1. प्रदेश में प्रत्येक भूस्वामी को बी-1, खसरा भाग-1 एवं भाग-2 की प्रति उपलब्ध कराने हेतु ₹100 प्रतीक का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय (कुल संभावित व्यय 9.60 करोड़ रूपये) विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. ग्रामीण भू-स्वामी को अधिकार अभिलेख(सम्पत्ति कार्ड) उपलब्ध कराने हेतु कुल अनुमानित लागत ₹1.805 करोड़ का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजनों हेतु कुल ₹200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 3

1. नवीन तहसील गिरौदपुरी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के तहसील कार्यालय की स्थापना हेतु ₹50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतनमान लेवल	तहसील कार्यालय हेतु पद
1	तहसीलदार	लेवल-9	01
2	नायब तहसीलदार	लेवल-8	01
3	नायब नाजिर/केशियर/सहा.ग्रे.-2	लेवल-6	01
4	सहा.नायब नाजिर/सहा.ग्रे.-3	लेवल-4	01
5	वासिल बाकी नवीस/सहा.ग्रे.-2	लेवल-6	01
6	सहा.वासिल बाकी नवीस/सहा.ग्रेड-3	लेवल-4	01
7	वाचक तहसीलदार/सहा.ग्रे.-3	लेवल-4	01
8	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल-4	01
9	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	02
10	कानूनगो (सहा.ग्रेड-2)	लेवल-6	01
11	सहा. कानूनगो (सहा.ग्रेड-3)	लेवल-4	01
12	वाहन चालक	लेवल-4	01
13	भृत्य	लेवल-1	01
योग			14

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. नवीन अनुविभागीय कार्यालय कमशः ओरछा, जिला-नारायणपुर एवं गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा की स्थापना हेतु ₹50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	वेतनमान लेवल	प्रति अनुविभागीय कार्यालय हेतु पद	कुल पद संख्या
1.	डिप्टीकलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी	लेवल-12	01	02
2.	सहायक ग्रेड-02/रीडर	लेवल-6	01	02

3.	सहायक ग्रेड-03	लेवल-4	01	02
4.	स्टेनोटायपिस्ट	लेवल-4	01	02
5.	वाहनचालक	लेवल-4	01	02
6.	भृत्य	लेवल-1	02	04
योग:-			07	14

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

डिक्रीधन के भुगतान हेतु ₹5,87,648 का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹5,87,648 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।